

**कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित**

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

कार्यालय : कक्ष क्र. 44, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, वैदुन

CIN-U41000MP2012SGC028798

(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in)

Email-gmsingrauli.mpjn@mp.gov.in

क्रमांक 105 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2024

दिनांक 18/01/24

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

विषय:- सिंगरौली जिले में गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु 4.8787 हे० वनभूमि म०प्र० जल निगम मर्यादित सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। प्रकरण क्रमांक- FP/MP/WATER/151861/2022

संदर्भ:- 1. आपका का पत्र क्र. 209 दिनांक 10.01.2024
2. तकनीकी अधिकारी (वानिकी) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र० 6-एमपीबी/049/2023-बीएचओ/ दिनांक 23.12.2023

--00--

विषयांतर्गत लेख है सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रतिवेदन (Part A & B) एवं वचन पत्र चाहा गया है जो निम्नानुसार है:-

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department		
1	Cost of compensatory afforestation on the CA land 4.8787 ha (out of 67.30ha) non-forest land at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.	Cost of Compensatory Afforestation amounting Rs. 2,31,13,879/- pertains to following Proposals. 151345,151540,151715,151318,151861,151775,151867,151384,151412,418099,151344,151013,153484,154522 The above amount has been deposited through CAMPA fund through case no. (FP/MP/WATER/151345/2022) for total (67.3 ha.) and details have been uploaded on Parivesh portal. (Details enclosed)
2	Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.	Non Forest land transferred for CA to Forest Department in Village- Naugai-2 ,Tehsil- Chitrangi,Khasra- 64,67,68,69,70,71,72,73,76,77,79,80,84/1 Total Area Allotted - 67.3 ha., Area for Proposal - 4.8787 ha
3	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. Copy of PF/RF notification may be submitted in Stage-I compliance report.	The Proposal for declaring total CA land (67.3 ha.) as PF/RF is to be sent by DFO in prescribed format to PCCF land Management. Conversion of CA land to PF/RF is under process.

4	The State Government shall charge Net Present Value (NPV) for the 4.8787 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	NPV value submitted and details filled in parivesh portal NPV-(Rs. 59,93,922/-) (Details Attached)
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in).	NPV,CA submitted and details filled in parivesh portal NPV-(Rs. 59,93,922/-) CA-(Rs. 2,31,13,879/-) for (67.3 ha.land) (Details Attached)
6	The Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA Certificate Submitted to District Forest Office. (Copy Attached)
7	The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	Undertaking Attached
8	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	KML files of diverted area and CA areas uploaded
9	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	Accepted
10	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	Compliance report uploaded

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to stage-II approval		
01	Legal status of the forest land shall remain unchanged	Accepted (Undertaking Attached)
02	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 4.8787 ha (out of 67.30 ha) non-forest land at Khasra No. 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80 and 84/1, Village- Nougai-II, Tehsil- Chitrangi, District Singrauli at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species shall be avoided.	Related to Forest Department
03	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Undertaking is enclosed
04	No tree felling shall be involved in implementation of this project.	Accepted (Undertaking Attached)
05	The State Government and user agency shall comply with the provisions of all the acts, rules, regulation, guidelines, NGT order and hon'ble court order (s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	Accepted (Undertaking Attached)

06	The Pipeline shall be laid 1.5 meter below ground and after laying of pipe line the ground shall be properly levelled.	Pipeline will be laid 1.5m below ground level and GL will be properly levelled.
07	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	Not Applicable
08	The Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated of ground at the project cost, as per directions of the concerned Divisional Forest Officer.	Accepted (Undertaking Attached)
09	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	Accepted (Undertaking Attached)
10	No labour camp shall be established on the forest land.	Accepted (Undertaking Attached)
11	The user agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labours and staff working at site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forest areas.	Accepted (Undertaking Attached)
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	Accepted (Undertaking Attached)
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Accepted (Undertaking Attached)
14	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. Of India.	Accepted (Undertaking Attached)
15	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	Accepted (Undertaking Attached)

उपरोक्तानुसार एन.पी.व्ही. की राशि 59,93,922/- ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कैम्पा मद में जमा करा दी गई है चालान की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है एवं उसी पर यूटीआर नं० दर्ज है साथ ही गैर वनभूमि की खसरा प्रति (पी-2 फॉर्म) एवं कलेक्टर सिंगरौली द्वारा जारी एफ.आर.ए प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि कृपया शीघ्र कार्य अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-

1. एन.पी.व्ही राशि के चालान की प्रति।
2. गैर वनभूमि की खसरा (पी-2 फॉर्म) प्रति।
3. एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र की प्रति।
4. एन.पी.व्ही राशि (अतिरिक्त) जमा करने हेतु प्रमाण पत्र


(पंकज वाधवानी)

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

क्रमांक

/महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई / 2024

दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. ओ.एस.डी. म.प्र. जल निगम मर्यादित, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली



कायालय वन मण्डल आधकारा वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

साजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in. फोन-07805-233336 फैक्स-233335

सूचना का
अधिकार

क्र०/मा०चि०/ 2७9
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक 10-01-2024

महाप्रबंधक
म0प्र0 जल निगम
मर्यादित परि.कि.ई सिंगरौली

- विषय:- सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.8787 हे० वन भूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। (Proposal No. FP/MP/WATER/151861/2022)
- संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MBP049/2023-BHO दिनांक 23.12.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल का पृष्ठा. क्रमांक/एफ-5/1271/2023/10-11/5434 भोपाल, दिनांक 26.12.2023

-000-

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (1) से गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली में प्रभावित रकवा 4.8787 हे० वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन परिक्षेत्र जियावन का कक्ष क्र० PF 746, 775, 776, 747, 736, 735, 742, 737, 738, 743, 741, 740, 739 एवं RF 773, 769, 761 वनभूमि कुल रकवा 4.8787 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	मद का नाम	रकवा (हे० में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पर्यवेक्षण शुल्क की राशि	कुल योग
1	नेट प्रजेन्ट वैल्यू	4.8787	59,93,922/-	-	59,93,922/-
			59,93,922/-	-	59,93,922/-

3. क्षतिपूर्ति वनीकरण रकवा 4.8787 हे० (out of 67.30 हे०) की राशि, प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151345/2022 से जमा करने हेतु लेख किया गया है। एवं एन.पी.व्ही. की राशि रु. 59,93,922/- (रु. उनसठ लाख तिरानवें हजार नौ सौ बाईस मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यूटी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4. प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, साथ ही प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण/नामांतरण, फार्म पी-2, कब्जा रसीद की प्रति तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर सिंगरौली के प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

पृ०क्र०/मा०चि०/ 210
प्रतिलिपि:-

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली
सिंगरौली दिनांक 10-01-2024

5.12.2023
for h.a.
Pandy



वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक 6-एमपीबी 049/2023-बीएचओ/
प्रति,

दिनांक : 24/12/2023.

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

Sub: सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.8787 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/WATER/151861/2022).

Sir,

This refers to letter No. F-5/1271/2023/10-11/3416 dated 28/07/23, 4965 dated 07/11/2023 of PCCF(LM)/ APCCF(LM) & Nodal Officer, Govt. of Madhya Pradesh on the above mentioned subject seeking prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

After due consideration of the proposal of the State Government, the "in-principle" approval of Central Government, is hereby conveyed for diversion of 4.8787 ha Reserved & Protected Forest land for laying of drinking water pipeline under Gond Devsar Multi Village Rural Water Supply Scheme in favour of General Manager, Jal Nigam Maryadit in Singrauli District of Madhya Pradesh, subject to the following conditions and stipulations.

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

- (1) The cost of compensatory afforestation on the CA land 4.8787 ha (out of 67.30 ha) **non-forest land** at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
- (2) *Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.*
- (3) *The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. Copy of PF/RF notification may be sent in Stage-I compliance report.*
- (4) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.8787 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the

Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vor-I) dated 06/01/2022 in this regard in this regard.

- (5) All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- (6) The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- (7) ***The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.***
- (8) The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.
- (9) Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.
- (10) The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

- (1) Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- (2) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over **4.8787 ha (out of 67.30 ha) non-forest land at Khasra No. 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80, & 84/1, Village-Nougai-II, Tehsil- Chitrangi, District-Singrouli** at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.
- (3) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- (4) ***No tree felling shall be involved in the implementation of this project.***
- (5) The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
- (6) The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipe line the ground will be leveled.
- (7) User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- (8) The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- (9) The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- (10) No labour camp shall be established on the forest land.

- (11) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- (12) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.
- (13) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- (14) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.
- (15) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

After receipt of the compliance report regarding fulfillment of the conditions as stipulated above, from the State Government, formal approval will be issued in this regard under Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

This has been issued with the approval of competent authority.

(डॉ. योगेश गौरीला)

तकनीकी अधिकारी(वानिकी)

प्रितलिपि:

1. वन महानिरीक्षक(एफसी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश ।
4. महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(डॉ. योगेश गौरीला)

तकनीकी अधिकारी(वानिकी)

Application for RTGS/NEFT Remittance



SBI State Bank of India

Date 12/01/2024

Branch Code 3848



NEFT



RTGS

Branch Waidhan

Please remit the sum of

By debiting my/our account No. 40569700767 be way of (i) Transfer

(Only NEFT). (ii) Cash (Only NEFT) (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using Cheque No. 743923 Dated 12/01/2024

for the total amount including your charges as per details given below.

Name of the beneficiary Madhya Pradesh CAMPA

Beneficiary Bank & Branch Union bank of india

IFSC Code

UBIN0996335

Beneficiary Account No.

1507653151861749

Amount (In Words) fifty nine lakh ninety three thousand nine hundred

Amount (In Figures) and twenty two rupees only/- Charges Total 59.93922/-

Name of Applicant General Manager M.P. Tal Nigam Maryadit P. U. Singrauli

Address Office of the GM M.P. Tal Nigam P. U. Singrauli Collectorate Waidhan

Mobile No. Tel. No.

UTR No. & Date

(Please see conditions on the reverse)

Signature of Applicant
General Manager
M.P. Tal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)



SB INR 52024011796522704

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-01-2024

Agency Name.	MADHYA PRADESH JAL NIGAM MARYADIT
Application No.	53151861749
MoEF/SG File No.	6-MPB049/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	D- Wing, IInd floor, Vindhyachal Bhawan, BhopalBhopal
Amount(in Rs)	5993922/-

Amount in Words :Fifty-Nine Lakh Ninety-Three Thousand Nine Hundred and Twenty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507653151861749 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-01-2024

Agency Name.	MADHYA PRADESH JAL NIGAM MARYADIT
Application No.	53151861749
MoEF/SG File No.	6-MPB049/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	D- Wing, IInd floor, Vindhyachal Bhawan, Bhopal Bhopal
Amount(in Rs)	5993922/-

Amount in Words :Fifty-Nine Lakh Ninety-Three Thousand Nine Hundred and Twenty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507653151861749 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back



Pandey
General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank Of India

(03848)-WAIDHAN
NEAR POLICE STATION
WAIDHAN, DIST: SINGRAULI M.P. 486886
Tel : 7805 279202 Fax : IFS Code : SBIN0003848 SWIFT :

केवल 3 महीने के लिए वैध / VALID FOR 3 MONTHS ONLY

17012024
D D M M Y Y Y Y

hCU03E

PAY your self / या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Fifty nine lakh ninety three thousand nine hundred and
twenty two rupees only / अदा करें ₹ 5993922/-

खा. सं. 40569700767
A/c No.

VALID UPTO ₹ 10 LACS AT NON-HOME BRANCH FOR NON-CASH TRANSACTION ONLY

76700796504

SB ACCOUNT

PREFIX :
1515600013

MULTI-CITY CHEQUE Payable at Par at All Branches
Nitesh Singh
Deputy Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Rewa (M.P.)

Parth
General Manager
MADHYA PRADESH JAL NIGAM MPTD PIU
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)

⑈743973⑈ 486002101⑈ 009715⑈ 31

Nitesh Singh
Deputy Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Rewa (M.P.)

Parth
General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit
Singrauli (M.P.)



FORM-I

(for linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Singrauli

Ref. No. / **7982** /TRIBAL/FRA/2023

Date: **21-11-2023**

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/ 98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights, under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) ACT, 2006 ('FRA', For short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that in Compartment No PF 736, PF 738, PF 741, PF 775, PF 734, PF 737, PF 739, PF 740, PF 742, PF 743, PF 746, PF 747, PF 776, RF 761, RF 769, RF 773, Total 4.8787 ha. of Area in **General Manager M.P. Jal Nigam Limited P.I.U. Singrauli** for the **Gound Devsar, Rural Water Supply Scheme** in **Singrauli** district falls within jurisdiction of **Deosar, Sub-Divison. Village Kundwar, Kursa, Kusedi, Bandha, Medh, Looti.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.8787 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) Deosar and the District Level Committee Singrauli are enclosed as annexure 1(1-8) to annexure 2(1-4).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.: As Above


Collector **21/11/2023**
Distt-Singrauli

Office of the General Manager
Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit, Singrauli

Office: Room No.44 1st floor collectorate office, Waidhan
(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in)

CIN-U41000MP2012SGC028798
E-mail-gmmpjnmsingrauli@gmail.com)

Annexure-1

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

Muck Disposal will be done on the revenue land provided by the District Collector Singrauli vide "Order no. 56/ 3F-20(3)/2022-23 dated 18 Jan ,2023" Total 17 ha. Land has been transferred to forest department for CA land and rest will be used for muck disposal. &Kml file of rest of land is enclosed".

PANKAJ
WADH
WANI

Digitally signed
by PANKAJ
WADHWANI
Date: 2024.01.10
11:55:49 +05'30'

Office of the General Manager
Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit
Project Implementation Unit, Singrauli

Office: Room No.44 1st floor collectorate office, Waidhan
(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in)

CIN-U41000MP2012SGC028798
E-mail-gmmpjnmsingrauli@gmail.com)

Annexure-1

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

Pankaj Wadhwani, In capacity of General Manager M.P. Jal Nigam Maryadit, Project Implementation Unit, Singrauli on behalf of M.P. Jal Nigam Maryadit do hereby undertake that M.P. Jal Nigam Maryadit will pay "Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State government from the user agency".

**PANKAJ
WADH
WANI**

Digitally signed by
PANKAJ WADHWANI
Date: 2024.01.10
11:32:18 +05'30'

शर्त क्रमांक B (01)

वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहने का वचन पत्र

जल जीवन मिशन अन्तर्गत सिंगरौली जिले मे गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाने का कार्य वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र अन्तर्गत 4.8787 हे० वन भूमि पर प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-6-एमपीबी 049/2023-बीएचओ/ दिनांक-23.12.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा-2 के अन्तर्गत वन प्रकरण मे प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) मे अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक B-01 के अनुपालन मे प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।



(पंकज वाधवानी)

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

शर्त क्रमांक B (04)

वृक्ष कटान ना होने का वचन पत्र

जल जीवन मिशन अन्तर्गत सिंगरौली जिले मे गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाने का कार्य वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र अन्तर्गत 4.8787 हे0 वन भूमि पर प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-6-एमपीबी 049/2023-बीएचओ/ दिनांक-23.12.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा-2 के अन्तर्गत वन प्रकरण मे प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) मे अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक B-04 के अनुपालन मे आवेदक संस्था कार्य करते समय वृक्षों के कटान न होने के लिये वचनबद्ध है।



(पंकज वाधवानी)

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

आवेदक संस्था इस प्रकरण के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय
एवं नजीटी आदेश के पालन हेतु वचन पत्र

जल जीवन मिशन अन्तर्गत सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाने का कार्य वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र अन्तर्गत 4.8787 हे० वन भूमि पर प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-6-एमपीबी 049/2023-बीएचओ/ दिनांक-23.12.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा-2 के अन्तर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक B-05 के अनुपालन में आवेदक संस्था इस प्रकरण के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय एवं नजीटी के समस्त आदेशों के पालन हेतु वचनबद्ध है।



(पंकज वाधवानी)

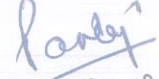
महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

सीमा चिन्हांकन एवं पिलर लगाने बाबत वचन पत्र

जल जीवन मिशन अन्तर्गत सिंगरौली जिले मे गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाने का कार्य वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र अन्तर्गत 4.8787 हे0 वन भूमि पर प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-6-एमपीबी 049/2023-बीएचओ/ दिनांक-23.12.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा-2 के अन्तर्गत वन प्रकरण मे प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) मे अधिरोपित शर्तो के बिन्दु क्रमांक B-08 के अनुपालन मे आवेदक संस्था सीमा चिन्हांकन एवं पिलर लगाने हेतु वचनबद्ध है।



(पंकज वाधवानी)

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

शर्त क्रमांक B (09)

प्रकरण लेआउट प्लान में परिवर्तन नहीं किये जाने का वचन पत्र

जल जीवन मिशन अन्तर्गत सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाने का कार्य वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र अन्तर्गत 4.8787 हे० वन भूमि पर प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-6-एमपीबी 049/2023-बीएचओ/ दिनांक-23.12.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा-2 के अन्तर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक B-09 के अनुपालन में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रकरण लेआउट प्लान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जिसके लिये आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

(पंकज वाधवानी)

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

शर्त क्रमांक B (10)

वन भूमि पर श्रमिक कैंप निर्माण नहीं किये जाने हेतु वचन पत्र

जल जीवन मिशन अन्तर्गत सिंगरौली जिले मे गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाने का कार्य वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र अन्तर्गत 4.8787 हे० वन भूमि पर प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-6-एमपीबी 049/2023-बीएचओ/ दिनांक-23.12.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा-2 के अन्तर्गत वन प्रकरण मे प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) मे अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक B-10 के अनुपालन मे वन भूमि पर श्रमिकों हेतु कैंप निर्माण नहीं किया जाएगा। जिसके लिये आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



(पंकज वाधवानी)

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

शर्त क्रमांक B (11)

प्रस्तावित क्षेत्र में श्रमिकों को जलाऊ ईंधन (एलपीजी) उपलब्ध कराये जाने का वचन पत्र

जल जीवन मिशन अन्तर्गत सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाने का कार्य वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र अन्तर्गत 4.8787 हे० वन भूमि पर प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-6-एमपीबी 049/2023-बीएचओ/ दिनांक-23.12.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा-2 के अन्तर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक B-11 के अनुपालन में वन भूमि पर श्रमिकों को जलाऊ ईंधन (एलपीजी) उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके लिये आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

(पंकज वाधवानी)

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

प्रत्यावित वनभूमि के उपयोग हेतु वचन पत्र

जल जीवन मिशन अन्तर्गत सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाने का कार्य वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र अन्तर्गत 4.8787 हे० वन भूमि पर प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-6-एमपीबी 049/2023-बीएचओ/ दिनांक-23.12.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा-2 के अन्तर्गत वन प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) में अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक B-12 के अनुपालन में डायवर्जन की अवधि परियोजना जीवन के साथ-साथ समाप्त होगी। जिसके पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

(पंकज वाधवानी)

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

शर्त क्रमांक B (13)

वन भूमि पर दर्शित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न कराये जाने हेतु वचन पत्र

जल जीवन मिशन अन्तर्गत सिंगरौली जिले मे गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाने का कार्य वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र अन्तर्गत 4.8787 हे0 वन भूमि पर प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-6-एमपीबी 049/2023-बीएचओ/ दिनांक-23.12.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा-2 के अन्तर्गत वन प्रकरण मे प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) मे अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक B-13 के अनुपालन मे आवेदक संस्था वन भूमि पर दर्शित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न करने हेतु वचनबद्ध है।



(पंकज वाधवानी)

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

प्रस्तावित वन भूमि को किसी अन्य संस्था/विभाग/व्यक्ति को हस्तांतरण न किये जाने हेतु वचन पत्र

जल जीवन मिशन अन्तर्गत सिंगरौली जिले मे गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाने का कार्य वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र अन्तर्गत 4.8787 हे0 वन भूमि पर प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-6-एमपीबी 049/2023-बीएचओ/ दिनांक-23.12.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा-2 के अन्तर्गत वन प्रकरण मे प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) मे अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक B-14 के अनुपालन मे प्रस्तावित वन भूमि को भारत सरकार के स्वीकृति के पूर्व किसी भी दशा में किसी अन्य संस्था/विभाग/व्यक्ति को हस्तांतरण न किये जाने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

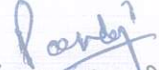
(पंकज वाधवानी)

महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीव संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास हेतु समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के पालन हेतु वचन पत्र

जल जीवन मिशन अन्तर्गत सिंगरौली जिले मे गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाइप लाईन बिछाने का कार्य वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र अन्तर्गत 4.8787 हे0 वन भूमि पर प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-6-एमपीबी 049/2023-बीएचओ/ दिनांक-23.12.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा-2 के अन्तर्गत वन प्रकरण मे प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण) मे अधिरोपित शर्तों के बिन्दु क्रमांक B-15 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीव संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास हेतु समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।


(पंकज वाधवानी)
महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खुसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11087952664



ग्राम: नौगाई			पटवारी हल्का: नौगाई			राहसील: बितरंगी			जिला: सिंगरौली			वर्ष: 2023-2024	
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/हलोक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (हलोक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	5	6	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	8	भूमि पर विज्ञापन तथा प्रचार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के अधीन फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के ब्यौरे फसल क्षेत्रफल	वर्ष: 2023-2024 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कोलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1086037165	72 (S)		8.6300 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1							न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/अ-59/2022-23, आदेश दि. 30/12/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित	
82F7QZDF92LFH0			रु.0.00									न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0056/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 18/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित	
												म.प्र. शासन	



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
रूपसरा
प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR.No. : 11087997994

ग्राम: नौगाई			पटवारी हल्का: नौगाई		तहसील: चित्तौरी		जिला: सिंगरौली		वर्ष: 2023-2024		
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/हल्लोंक संख्या)	पू-खण्ड संख्या (हल्लोंक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पिता का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रकार 1. बंधक 2. दृष्टिवशक 3. पूर्व-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे		
									फसल के अधीन क्षेत्रफल	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155754 4173	70/2 (S)		3.3900 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0056/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 18/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित
82FAS MDF8T RJHO			रु.0.00	शासकीय संस्था							म.प्र. शासन



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11087998018



ग्राम: नौगई			पटवारी हल्का: नौगई		तहसील: बितरंगी		जिला: सिमरौली		वर्ष: 2023-2024		
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निशाना किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पिता का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मालकी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रसार		फसल के बारे में	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
								1. बंधक 2. दृष्टिवंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के अधीन क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154937 2959	71/1 (S)		11.8700	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/अ-59/2022-23, आदेश दि. 30/12/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0056/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 18/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित
			हेक्टेयर								
82F96U DF8VM HHO			रु.0.00								म.प्र. शासन



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खुसरा
प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



CLR No. : 11087998276

ग्राम: नौगाई			पटवारी हल्का: नौगाई		तहसील: वितरणी		जिला: सिमरौली		वर्ष: 2023-2024		
भूमि के भाग की श्रृंखला आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संहिता/हलाक की संख्या)	भू-खण्ड संहिता/हलाक की संख्या	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विज्ञापन तथा प्रसार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल के अधीन 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1080652983	67 (S)		0.6200 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0056/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 18/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। म.प्र. शासन
82FC8C DF942H H0			का.का. 0.6200 रु.0.00								



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11087998314

ग्राम: नौगाई			पटवारी हल्का: नौगाई			तहसील: दिवारी		जिला: सिंगरौली		वर्ष: 2023-2024	
भूमि के भाग की श्रृंखला आदिदी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/हलक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (हलक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	5	6	प्रत्येक भूमि स्वामी का अक्ष	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	8	भूमि पर विलगाव तथा प्रसार 1. बंधक 2. दृष्टिबद्धक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यारे फसल के अधीन फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155754 4127	69/2 (S)		7.9200 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0056/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 18/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित म.प्र. शासन
82FBYT DF902A H0			रु.0.00								



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खुसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11087998357



ग्राम: नौगाई			पटवारी हल्का: नौगाई		तहसील: बितरंगी		जिला: सिंगरौली		वर्ष: 2023-2024					
भूमि के भाग की श्रुतिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या/ब्लॉक संख्या (ब्लॉक संख्या देखा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	प्रत्येक भूमि स्वामी का अक्ष	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. पट्टे की अवधि	3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	भूमि पर विलेग तथा प्रसार	भूमि पर विलेग तथा प्रसार	फसल के अधीन क्षेत्रफल	फसल के ब्यारे	वर्ष के सिंचाई संबंधी प्राप्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
154987 1251	73/1 (S)		14.0500 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन	1							न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/अ-59/2022-23, आदेश दि. 30/12/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।		
82F6T1			रु.0.00	शासकीय संस्था								न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0056/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 18/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।		
DF8TN												म.प्र. शासन		
6H0														



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरकृत भू-अभिलेख

खुसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11087998365

ग्राम: नौगाई			पटवारी हल्का: नौगाई		तहसील: दितरंगी		जिला: सिमरौली		वर्ष: 2023-2024		
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/हलका संख्या)	भू-खण्ड (हलका संख्या)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिवंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1557544083	76/2 (S)		0.7000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0056/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 18/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। म.प्र.शासन
82F98P DF8S6 NH0											



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा
प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11087998557

ग्राम: नौगई		पटवारी हल्का: नौगई			तहसील: चित्तौरी		जिला: सिंगरौली			वर्ष: 2023-2024	
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की संख्या)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विछुरांग तथा प्रसार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे में		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कोलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1091350721	77 (S)		0.6000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0056/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 18/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित
82F89D			का. का. 0.6000								म.प्र. शासन
DF8R4											
UHO			रु.0.00								



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR.No. : 11087998590



ग्राम: नौगई			पटवारी हल्का: नौगई		तहसील: वितरणी		जिला: सिंगरौली		वर्ष: 2023-2024		
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक की दशा में)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कथक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रचार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे में फसल के अधीन क्षेत्रफल 1. फसल 2. खरीफ 3. रबी 4. जायद 5. अन्य	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154937 1238	79/1 (S)		3.9300 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0012/अ-59/2022-23, आदेश दि. 30/12/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0056/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 18/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित
82F4V1 DF8QF 9H0			रु.0.00								म.प्र. शासन



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा
प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



CLR.No. : 11087999417

ग्राम: नौगाई			पटवारी हल्का: नौगाई		तहसील: चित्तौरी		जिला: सिंगरौली		वर्ष: 2023-2024		
भूमि के भाग की श्रृंखला आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वसामान्य संख्यांक/व्यक्तिगत संख्यांक)	पू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. पू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विच्छादन तथा प्रसार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे में फसल के अधीन 1. फसल 2. खरीफ 3. रबी 4. जायद 5. अन्य	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कोलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1094513826	80 (S)		6.7700 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0056/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 18/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।
82F2R5DF8PQLH0			काबिल कास्त								म.प्र. शासन



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा
प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



CLR.No. : 11087999590

ग्राम: नौगाई			पटवारी हल्का: नौगाई			तहसील: चितरंगी			जिला: सिंगरौली			वर्ष: 2023-2024		
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/हलक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (हलक की संख्या)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)		1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विज्ञापन तथा प्रसार			फसल के अधीन क्षेत्रफल	फसल के ब्यारे	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
			2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)					1. बंधक	2. दृष्टिबंधक	3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1098677441	84/1 (S)		0.1400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1							न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0056/अ-20(3)/2022-23, आदेश दि. 18/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।		
82EUYLDF8P91H0														